30.7.21 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 13.8.21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

13.8.21 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 3.9.21 को पेश हो।

3.9.21 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, मौका रिपोर्ट पर तहसीलदार मांडल के काउन्टर हस्ताक्षर होकर मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है वकील प्रार्थीगण बहस हेतु अवसर चाहते हैं बहस हेतु अवसर दिया जाता है वास्ते पत्रावली बहस हेतु नियत दिनांक 21.9.21 को पेश हो।

25.11.21 पत्रावली केम्प लुहारिया को पेश हुई।
आगामी दिनांक 2.12.21 को पेश हो।

2.12.21 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, वकील प्रार्थीगण ने बहस करनी चाही, बहस सुनी गयी, वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान अपनी खातेदारी आराजी नं. 2948, 2949, 3231/2947, 2953 2954, 2955, 1147, 2956, 2947, 2950, 2951, 2952 भूमि मे आने-जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण 01 लगायत 16 की आराजी नं. 2968 2967, 2957, 2958, 1147 मे से 15 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की प्रस्तुअा की।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया, तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
किया जिससे जाहिर आया कि प्रार्थीगण की अराजियात मे आवागमन हेतु कोई रास्ता विद्यमान नही है एंव वर्तमान मे कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नही है, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है, अत:	
:: आदेश ::	
प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजी ग्राम लुहारिया पटवार हल्का लुहारिया I तहसील माण्डल मे स्थित आराजी नं० 2948 2949, 3231/2947, 2953 2954, 2955, 1147 2956, 2947, 2950, 2951, 2952 की भूमि पर आने-जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है। एंव मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। उपरोक्त भूमि मे आने-जाने हेतु अप्रार्थीगण 01 लगायत 16 की आराजी नं० 2968 2967 2957, 2958, 1147 यानि आराजी नं० 2968 व 2967 के मध्य यानि आराजी नं० 2968 की दक्षिणी मेड व आराजी नं० 2967 की उत्तरी दिशा के मध्य होता हुआ आराजी नं० 2957 की उत्तरी मेड व आराजी नं० 2958 की दक्षिणी दिशा की मेड आराजी नं० 1147 की उत्तरी मेड के सहारे-सहारे 15 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता है 15 फीट चौड़ाई के रास्ते मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल राशि नकद या D.D. प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थीगण 01 लगायत 16 को भुगतान करे। अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। तहसीलदार माण्डल को निर्णय की प्रति भिजवाते हुए लिखा जावे। तहसीलदार माण्डल निर्णय की पालना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	
उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	